न्यायालय जिला कलक्टर, बीकानेर

बइजलास कुमार पाल गौतम, आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बीकानेर

मुकदमा संख्या 130/18 विविध

एल एण्ड टी हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड, रजिस्टर्ड कार्यालय वृन्दावन प्लॉट नं.177 सी.एस.टी. रोड, कालीना सांताकुज (ईस्ट) मुंबई

—प्रार्थी

: ब ना म :

1. श्री रमेश कुमार चौपड़ा
2. श्री सुखराज देवी चौपड़ा
3. जिग्मा वाणीजय प्रा.लि.
4. श्री सुरेश चौपड़ा
5. श्री सुमित कुमार चौपड़ा

निवासी गण चौपड़ा मोहल्ला पूरानी लाईन, मालु स्ट्रीट, गंगाशहर, बीकानेर, राजस्थान

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा—14 सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाईनेन्सियल एसेटस एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटि इन्टरस्ट एक्ट,2002

उपस्थितिः—

1 प्रार्थी बैंक के अधिववक्ता श्री रूपेन्द्रसिंह उपस्थित।

2. अप्रार्थीगण के अधिवक्ता श्री घनश्याम ओझा हाजिर नहीं ।

: आ दे श :

दिनांक 13.02.19

1. प्रार्थी कम्पनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र एवं उनके अधिवक्ता के कथनानुसार संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी कम्पनी द्वारा अप्रार्थी/ऋणी को ऋण सुविधा के तौर पर दिनांक 24.09.2008 को रूपये 67,89,293/— की राशि उपलब्ध करवाई थी एवं उक्त ऋण की एवज में अप्रार्थी/ऋणी द्वारा मोहल्ला पुरानी लेन मालु स्ट्रीट, गंगाशहर, बीकानेर में स्थित को प्रार्थी कम्पनी के हक में उक्त ऋण के पेटे साम्यिक बंधक रखा गया था। अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी/कम्पनी के साथ हुए अनुबंध के नियमानुसार ऋण राशि नहीं चुकाये जाने पर अप्रार्थी/ऋणी के खाते को दिनांक 02.06.17 को एन.पी.ए. घोषित कर दिया गया व अप्रार्थी/ऋणी के खाते में रूपये 52,39,840.32/— दिनांक 27.09.2017 तक ब्याज शामिल करते हुए तथा इसके आगे का ब्याज व अन्य खर्चे कम्पनी के विरूद्व बकाया निकलते हैं। अप्रार्थी/ऋणी के ऋण खाते को एन.पी.ए. घोषित हो जाने पर अधिनियम की धारा 13(2) के तहत प्रार्थी कम्पनी द्वारा अप्रार्थी/ऋणी/जमानती को दिनांक 27.09.17 को रजिस्टर्ड नोटिस दिये गये। परन्तु इसके पश्चात् माननीय न्यायालय में दायर इस प्रार्थना—पत्र को दिनांक तक अप्रार्थी/ऋणी द्वारा ऋण राशि जमा नहीं करवाई व ना ही बंधक शुदा सम्पति का सम्पूर्ण कब्जा प्रार्थी कम्पनी को दिया गया। प्रार्थी कम्पनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र में निवेदन किया गया है कि अप्रार्थी/ऋणी/जमानती द्वारा प्रार्थी कम्पनी के हक में बंधक रखी गई सम्पति का कब्जा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थी कम्पनी को दिलाया जावे। प्रार्थी कम्पनी द्वारा इस प्रार्थना—पत्र के समर्थन में अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत शपथ—पत्र भी प्रस्तुत किया है।

Scanned by CamScanner

2. प्रार्थी **कम्पनी** के इस प्रार्थना–पत्र पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जा कर प्राकृतिक न्याय के मान्य सिद्धान्तों की पालना में अप्रार्थीपक्ष को तलब किया गया। अप्रार्थीगण के उपस्थित ना आने पर प्रार्थी **कम्पनी** के अधिवक्ता की इकतरफा बहस सुनी गई।

3. **प्रार्थी/ कम्पनी** के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया गया कि प्रार्थी **कम्पनी** द्वारा अप्रार्थीगण/ऋणी को ऋण सुविधा उपलब्ध करवाई गई थी। ऋण सुविधा प्राप्त करने के बाद अप्रार्थीगण/ऋणी बकाया राशि चुकाने में विफल रहे है। इस पर अप्रार्थीगण/ऋणी को धारा 13(2) का नोटिस दिये जाने के बावजूद भी बकाया राशि प्रार्थी **कम्पनी** के यहां जमा नहीं करवाई गई है। अतः प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

4. हमारे द्वारा प्रार्थी **कम्पनी** के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। अप्रार्थीगण/ऋणी द्वारा प्रार्थी **कम्पनी** के यहां से **ऋण** के रूप में उपर्युक्त ऋण सुविधा प्राप्त की थी। प्राप्त ऋण सुविधा की एवज में अप्रार्थीगण/ऋणी द्वारा पैरा संख्या 1 में उल्लेखित सम्पति साम्यिक बंधक रखी गई थी। अप्रार्थीगण द्वारा अपनी बकाया सम्पूर्ण राशि जमा नहीं करवाई गई है। बकाया राशि जमा करवाये जाने के संबंध में प्रार्थी **कम्पनी** द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण/ऋणी को नोटिस जारी किये गये। इसके पश्चात् भी अप्रार्थीगण ऋण राशि को अनुबंध के अनुसार वापिस जमा करवाने में विफल रहे है। ऐसी स्थिति में उक्त ऋण की एवज में पैरा नम्बर 1 में वर्णित सम्पति प्रार्थी **कम्पनी** के यहां बंधक है को प्रार्थी **कम्पनी** अपने कब्जे में लेने की अधिकारणी है। इस परिपेक्ष्य में प्रार्थी **कम्पनी** द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

5. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर **अप्रार्थीगण/ऋणी**, प्रार्थी/ **कम्पनी** के साथ हुए अनुबंध के अनुसार ऋण राशि को चुकाने में विफल रहे हैं। अतः प्रार्थी/ **कम्पनी** के प्रार्थना–पत्र के समर्थन में प्रस्तुत शपथ–पत्र पर विश्वास करते हुए **अप्रार्थीगण/ऋणी** व्यतिक्रमी मानते हुए प्रार्थी/ **कम्पनी** का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है तथा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए पैरा संख्या 1 में वर्णित बंधक रखी गई सम्पति का पजेशन प्रार्थी/ **कम्पनी** को जरिये संबंधित पुलिस थाना की इमदाद से प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, बीकानेर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जाती है कि प्रार्थी/ **कम्पनी** के खर्चे पर उनकी आवश्यकतानुसार चाहे जाने पर पुलिस सहायता उपलब्ध करावें। **सहायता उपलब्ध करवाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि उक्त बंधक रखी गई सम्पति किसी भी न्यायालय में विवादित अथवा स्थगन से प्रभावित तो नहीं है। इस आदेश की सूचना प्रार्थी कम्पनी अप्रार्थीगण को देवें।**

6. आदेश आज दिनांक **13.02.19** को हमारे द्वारा लिखवाया जा कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर

(कुमार पाल गौतम)
जिला मजिस्ट्रेट एव
जिला कलक्टर, बीकानेर

Scanned by CamScanner